झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख, 1923 शकाब्द

संख्या 77 — राँची, सोमवार 30 अप्रील, 2001

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 अप्रैल, 2001

संख्या-एल० जी०-06/2001-लेज 07—झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम/अध्यादेश, जिस पर राज्यपाल 20 अप्रैल, 2001 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रामायण पाण्डेय,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड,
राँची।

[झारखण्ड अधिनियम 04, 2001]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—

(I) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(III) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—

(I) इस अधिनियम में मंत्री से अभिप्रेत है झारखण्ड मंत्रिमंडल का सदस्य, चाहे जिस नाम से जाना जाता हो और इसमें राज्य मंत्री शामिल हैं।

(I) प्रत्येक मंत्री, मंत्री के रूप में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक सतत ऐसे स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुख्यालय घोषित करे, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, बिना किराए के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा।

(II) ऐसे आवास के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रभार व्यक्तिगत रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ "आवास" के अन्तर्गत स्टॉफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से सम्बन्धित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विद्युत शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

5. मंत्रियों को मोटरगाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सवारी भत्ता का दिया जाना—

(I) राज्य सरकार समय-समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटर-गाड़ी खरीद सकेगी और ऐसी शर्तों पर उपलब्ध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे,

परंतु यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गयी मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उसे उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी की खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जायेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

(II) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी अन्य शर्तों पर, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टॉफ कार के उपयोग करने का हकदार हो।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "स्टाफ-कार" से अभिप्रेत है कार्यालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटर वाहन।

6. मंत्रियों का दैनिक भत्ता—

कोई भी मंत्री, जब वह, लोक कारबार हेतु यात्रा पर हो, तो राज्य के अंदर दैनिक भत्ता 350/- (तीन सौ पचास) रुपया एवं राज्य के बाहर 500/- (पांच सौ) रुपया अनुमान्य होगा।

7. क्षेत्रीय भत्ता—

कोई भी मंत्री क्षेत्रीय भत्ता प्रतिमाह 4000/- (चार हजार) रुपये पाने का हकदार होगा।

8. सत्कार भत्ता—

कोई भी मंत्री निम्न प्रकार आतिथ्य भत्ता पाने का हकदार होगा।

(I) मुख्यमंत्री 1500/-(एक हजार पांच सौ) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 1000/- (एक हजार) रुपये प्रतिमाह, राज्य मंत्री 500/- (पांच सौ) रुपये प्रतिमाह एवं उप-मंत्री 300/- (तीन सौ) रुपया प्रतिमाह।

9. चिकित्सीय उपचार—

कोई भी मंत्री और उसके परिवार के सदस्य ऐसी सुविधाएं और मुफ्त चिकित्सा परिचर्या और दवा की आपूर्ति तथा अस्पतालों में वास-सुविधा के संबंध में रियायतों का हकदार होगा जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

10. नियम बनाने की शक्ति—

(I) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उक्त अधिनियम में प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी :

(II) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित को अवधारित करने हेतु नियम बना सकेगी :

(क) मंत्रियों को मोटरगाड़ी खरीदने और यात्रा भत्ता देने के लिए अग्रिम।

(ख) मंत्रियों का यात्रा एवं दैनिक भत्ता।

(ग) क्षेत्रीय भत्ता।

(घ) सत्कार भत्ता।

(ङ) अन्य भत्ता।

(III) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान-सभा के समक्ष रखा जायेगा जब वह 14 दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्ती दो सत्रों को मिलाकर हो, और उस सत्र अथवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान-सभा, नियम में कोई रूपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस रूपांतरित आकार में प्रभावी होगा अथवा कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी रूपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन किये गये पूर्ववर्ती कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
रामायण पाण्डेय,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, रांची द्वारा प्रकाशित तथा
सचिवालय मुद्रणालय, झारखण्ड, रांची द्वारा मुद्रित।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 77—500+500—यनि मुद्रा।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 284

25 भाद्र 1924 शकाब्द

राँची, सोमवार 16 सितम्बर, 2002

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2002

संख्या-एल०जी०--06/2001-70--लेज--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 13 सितम्बर, 2002 को अनुमति दे चुके है ; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

प्रशान्त कुमार,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

[झारखण्ड अधिनियम, 13, 2002]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें (53वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -
   (i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
   (iii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

किया जायेगा :-

"मुख्यमंत्री को प्रतिमाह 5500/- (पाँच हजार पाँच सौ)रुपये की दर से एवं प्रत्येक मंत्री / राज्यमंत्री/ उपमंत्री को 5000/- (पाँच हजार रुपये) की दर से वेतन दिया जायेगा । इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा" ।

3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 का प्रतिस्थापन :- झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) की धारा-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित समझा जायेगा -

"कोई भी मंत्री लोक कारोबार हेतु दैनिक भत्ता के रूप में 500/- रुपये (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन की दर से पाने के हकदार होंगे ।"

4. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का प्रतिस्थापन :- झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम-04, 2001) की धारा-8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

सत्कार भत्ता (i) मुख्यमंत्री — 8,000/- (आठ हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से

(ii) मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री — 5,000/- (पाँच हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से सत्कार भत्ता पाने के हकदार होंगे ।

5. झारखण्ड अधिनियम-04, 2001 की धारा-9 में संशोधन :- उक्त अधिनियम की धारा-9 में शब्द "अवधारित करें" के पश्चात् निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"कोई भी मंत्री 2,000/-(दो हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता (आउटडोर) पाने का हकदार होगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सचिव,
विधि (विधान) विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 284--300+400--शनि मुण्डा ।

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 फाल्गुन 1927 शकाब्द

संख्या 102 राँची, सोमवार 27 फरवरी, 2006

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2006

संख्या-एल॰जी॰-06/2001-33/लेज॰--झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल, दिनांक 20 फरवरी, 2006 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:--

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005
[झारखण्ड अधिनियम 08, 2006]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें (56वें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**-(1) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-6 के द्वितीय पंक्ति में अंकित शब्द समूह "हकदार होगा" के पश्चात् निम्न शब्द समूह जोड़े जायेंगे--

"हवाई यात्रा एवं जल मार्ग से यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुज्ञान्य होगी" ।

3. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-7 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-7 में शब्द क्षेत्रीय भत्ता "प्रतिमाह" के बाद अंक "4000/-" के स्थान पर अंक "8000/-" एवं प्रकोष्ट के अन्दर के शब्द "चार हजार" के स्थान पर शब्द "आठ हजार" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-8 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-8 के खंड (I) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा

"मुख्य मंत्री 11000/- (ग्यारह हजार) रुपये प्रतिमाह, मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह एवं राज्य मंत्री 8000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह" ।

5. **झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 की धारा-9 का संशोधन**--उक्त अधिनियम की धारा-9 में चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह के पश्चात् अंक एवं शब्द अंकित शब्द समूह "रुपये 2000/-(दो हजार रुपये)" के स्थान पर शब्द समूह "रुपये 3000/-(तीन हजार रुपये)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम विलाश गुप्ता,
सरकार के सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 102-300+400--शनि मुण्डा ।

102

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 251 13 चैत्र, 1930 शकाब्द
राँची, बुधवार 2 अप्रैल, 2008

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना
1 अप्रैल, 2008

संख्या-एल०जी०-6/2001-37/लेज०,--झारखण्ड विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 31 मार्च, 2008 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008

[झारखण्ड अधिनियम 07, 2008]

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 04, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के 59वें वर्ष में झारखण्ड विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -

(i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 यथासंशोधित अधिनियम 13, 2002 में संशोधन-झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-3 यथासंशोधित, 2002 में प्रयुक्त शब्द मुख्यमंत्री को प्रतिमाह अंक एवं शब्द 5500/- (पाँच हजार पाँच सौ) रुपये के स्थान पर 10,500/- (दस हजार पाँच सौ) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं शब्द 5000/- (पाँच हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 10,000/- (दस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. झारखण्ड अधिनियम 04, 2001 यथा संसोधित अधिनियम 13, 2002 में संशोधन-मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-8 यथासंशोधित 2002 में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

<u>सत्कार भत्ता</u>

(i) मुख्यमंत्री - 8,000/- रु० के स्थान पर 15,000/-रुपये

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री - 5,000/- रु० के स्थान पर 12,000/- रुपये

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 251--300+400--शनि मुण्डा ।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आश्विन, 1933 शकाब्द

संख्या 686

राँची, मंगलवार 11 अक्टूबर, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2011

संख्या एल०जी०–36 / 2001–167 / लेज०–झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 28 सितम्बर, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

[झारखण्ड अधिनियम, 16, 2011]

झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 04, 2001 का संशोधन करने के लिए अधिनियम –

भारत गणराज्य के 62वां वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-
   (i) यह अधिनियम झारखण्ड के मंत्रियों के वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-2 में संशोधन- झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 की धारा-3 यथा संशोधित, 2002 में प्रयुक्त शब्द मुख्यमंत्री को प्रतिमाह अंक एवं शब्द 10,500/-(दस हजार पांच सौ) रुपये के स्थान पर 40,000/(चालीस हजार) रुपये तथा प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री को अंक एवं शब्द 10,000/-(दस हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 39,000/-(उनचालीस हजार) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में संशोधन - झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-08, 2006 की धारा-3 में निम्नवत् संशोधन किया जायेगा :-

   क्षेत्रीय भत्ता

   (i) मुख्यमंत्री - 8,000/-रु० के स्थान पर 30,000/-रुपये।
   (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री -8,000/-रु० के स्थान पर 20,000/- रुपये।

4. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002 एवं अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 में संशोधन - मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम-13, 2002, अधिनियम 7, 2008 की धारा-3 यथा संशोधित) में निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

सत्कार भत्ता

(i) मुख्यमंत्री – 15,000/–रु0 के स्थान पर 30,000 /–रुपये।

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री – 12,000/–रु0 के स्थान पर 25,000/– रुपये।

5 झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 यथा संशोधित अधिनियम 2, 2003 एवं अधिनियम 4, 2002 की धारा–2 से संशोधन– मुख्यमंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय प्रभारी भत्ता में 500/–रूपया प्रतिदिन के स्थान पर यात्रा और दैनिक भत्ता –राज्य के अंदर 1,000/– तथा राज्य के बाहर 1,500/– रुपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6. झारखण्ड अधिनियम, 04, 2001 की धारा–10 (II) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी;

वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड राजपत्र (असाधारण) 686–150–600 ।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग
(संसदीय कार्य)

अधिसूचना

संख्या– मं0स0स0–05/विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया सचिवा) 933 /दिनांक– 19.5.2015

झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम – 04, 2001) की धारा 10, झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम– 08, 2006), झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम– 07, 2008) सहपठित झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम– 16, 2011) की धारा–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्न नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**–
   (i) यह नियमावली झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 कहलायेगी ।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (iii) यह नियमावली 01 जनवरी, 2015 से प्रभावी समझी जायेगी।
   (iv) इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय एवं संदर्भ के विरूद्ध न हो,
   (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है झारखण्ड के मंत्रियों का (वेतन एवं भत्ता) अधिनियम, 2001.
   (ख) "मंत्री" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 164 के अधीन राज्यपाल द्वारा उस रूप में नियुक्त व्यक्ति, इसमें राज्यमंत्री/उपमंत्री शामिल हैं,
   (ग) "सदस्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड विधान सभा का सदस्य,
   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2. **मंत्रियों का वेतन**–
   मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे–
   (i) मुख्यमंत्री– रु0 60,000/–(साठ हजार) प्रतिमाह
   (ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री–रु0 50,000/–(पचास हजार) प्रतिमाह
   इनके वेतन और भत्ते पर देय आयकर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3. **मंत्रियों का प्रभारी भत्ता**:–
   मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित प्रभारी भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–
   (i) मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री – रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ) मात्र प्रतिदिन राज्य के अन्दर एवं रु0 2,000/–(दो हजार) मात्र राज्य के बाहर प्रतिदिन।
   (ii) हवाई/ जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री के साथ दो सहयात्री एवं मंत्री/राज्यमंत्री/ उप–मंत्री के साथ एक सहयात्री की सुविधा अनुमान्य होगी। हवाई यात्रा/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा।

(108) (14)

4. क्षेत्रीय भत्ता–

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित क्षेत्रीय भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 40,000/–(चालीस हजार) मात्र प्रतिमाह

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री– रु0 30,000/–(तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

5. सत्कार भत्ता–

मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री शपथ–ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित **सत्कार भत्ता** प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 35,000/–(पैंतीस हजार) मात्र प्रतिमाह

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री– रु0 30,000/–(तीस हजार) मात्र प्रतिमाह

6. चिकित्सीय भत्ता:–

मुख्यमंत्री एवं कोई मंत्री और उसके परिवार के सदस्य निम्न रूप में निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे–

(i) मुख्यमंत्री– रु0 5,000/–(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति,

(ii) मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री– रु0 5,000/–(पांच हजार) मात्र प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या और दवाओं की आपूर्ति।

7. मंत्रियों का आवास–

(i) प्रत्येक मंत्री, रांची में अपनी पदावधि तक और उसके बाद ठीक एक माह की कालावधि तक अथवा ऐसे अन्य स्थान पर, जिसे राज्य सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, उस कालावधि के लिए, सरकार का मुख्यालय घोषित करे, जिसे उस घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए, बिना किराये के सुसज्जित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा।

(ii) ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में कोई प्रभार व्यक्तिगत रूप से मंत्री पर नहीं पड़ेगा, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे।

स्पष्टीकरण:– इस नियमावली के प्रयोजनार्थ " आवास" के अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर और उससे संलग्न अन्य भवन तथा उसके बगीचे भी और आवास से संबंधित अनुरक्षण के अन्तर्गत स्थानीय करों एवं अन्य करों के भुगतान तथा विधि शक्ति और जल की आपूर्ति भी सम्मिलित है।

8. मंत्रियों को मोटर गाड़ी खरीदने हेतु अग्रिम एवं सवारी भत्ता का दिया जाना–

(i) राज्य सरकार समय–समय पर मंत्रियों के उपयोग के लिए मोटरगाड़ी खरीद सकेगी और ऐसी शर्त्तों पर उपबंध करेगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे,

परन्तु यदि कोई मंत्री राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई मोटरगाड़ी नहीं रखे तो उसे उसके बदले सवारी भत्ते की ऐसी रकम और मोटरगाड़ी की खरीद के लिए प्रतिदेय अग्रिम के तौर पर ऐसी धनराशि उन निबंधनों पर दी जाएगी जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करे, ताकि वह अपने पद के कर्त्तव्यों का सुविधा और दक्षतापूर्वक निर्वहन कर सके।

(15) (15)

(ii) कोई भी मंत्री ऐसी रियायती दर पर और ऐसी अन्य शर्तों पर, जिसे राज्य सरकार समय–समय पर, नियमों द्वारा अवधारित करे, प्रभार करे, प्रभार के भुगतान पर स्टाफ कार के उपयोग करने का हकदार हो।

स्पष्टीकरण:– इस उप कंडिका के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति " स्टाफ कार" से अभिप्रेत है कार्यालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा खरीदा गया और अनुरक्षित कोई मोटर वाहन।

(iii) मुख्यमंत्री / मंत्री / राज्यमंत्री / उप–मंत्री को रु0 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) मात्र तक 4 (चार) प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर मोटर कार अग्रिम अनुमान्य होगा।

9. **नियमों की व्याख्या एवं संशोधन की शक्ति–**

(i) राज्य सरकार को इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या करने तथा समय–समय पर इसमें संशोधन करने का अधिकार होगा।

(ii) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा तब वह 14 दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र या क्रमवर्ती दो सत्रों को मिलाकर हो, और उस सत्र अथवा उसके ठीक बाद होने वाले सत्र की, जिसमें वह रखा गया हो, की समाप्ति के पूर्व यदि विधान सभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत हो अथवा सहमत हो कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह नियम, जिसके बाद यथास्थिति उस उपांतरित प्रारूप में प्रभावी होगा अथवा

कोई प्रभाव नहीं होगा, फिर भी ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलीकरण उस नियम के अधीन किए गए पूर्ववर्त्ती कुछ भी की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(छाया सचिका) 933 / रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि:– राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव / विकास आयुक्त के सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / प्रधान स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली / सरकार के सभी सचिव / सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– मं0म0स0–05 / विधायी का0 (वेतन एवं भत्ता)–01 / 2015(छाया सचिका) 933 / रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, एच. ई.सी. प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/15
(एस0 के0 शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

(110)

(16)

ज्ञापांक– सं०म०स०–05/विधायी का० (वेतन एवं भत्ता)–01/2015(छाया संचिका) 933 /रांची, दिनांक 19 मई, 2015।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखंड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि राजपत्र की 5000 (पांच हजार) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह० 18/5/15
(एस० के० शतपथी)
सरकार के प्रधान सचिव।

111

17

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(संसदीय कार्य)

<u>अ धि सू च ना</u>

म0म0स0– म0म0स0–05/वे0भ0 संशोधन–128/2017 1257/ झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 के नियम– 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

<u>::संशोधन::</u>

i) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक "रु0 60,000/– (साठ हजार)" को **"रु0 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ii) नियमावली के नियम–2 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 50,000/– (पचास हजार)"** को **"रु0 65,000/– (पैंसठ हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iii) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (i) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री/ मंत्री/ राजमंत्री/ उप–मंत्री" के पश्चात् एवं " मात्र प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 1,500/– (एक हजार पांच सौ)"** को **"रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र"** से तथा अंकित शब्द समूह "राज्य के अन्दर एवं" के पश्चात् तथा "राज्य के बाहर प्रतिदिन" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 2,000/– (दो हजार) मात्र"** को **"रु0 2,500/– (दो हजार पांच सौ) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

iv) नियमावली के नियम–3 के उप नियम (ii) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है–

"हवाई/जलपोत यात्रा करने के समय मुख्यमंत्री/मंत्री/ राज्यमंत्री/ उप–मंत्री अपने साथ 03 (तीन) सहयात्री टिकट क्रय कर भारत में यात्रा करने के हकदार होंगे। हवाई/जलपोत यात्रा से संबंधित विपत्रों का भुगतान तथा HOR मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) द्वारा पूर्ववत् दिया जाता रहेगा।"

v) नियमावली के नियम–4 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 40,000/– (चालीस हजार) मात्र"** को **"रु0 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

vi) नियमावली के नियम–4 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र"** को **"रु0 80,000/– (अस्सी हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

112

vii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द **"रु0 35,000/– (पैंतीस हजार) मात्र"** को **"रु0 60,000/– (साठ हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

viii) नियमावली के नियम–5 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 30,000/– (तीस हजार) मात्र"** को **"रु0 45,000/– (पैंतालीस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

ix) नियमावली के नियम–6 के उप नियम (i) में अंकित शब्द "मुख्यमंत्री" के पश्चात् एवं "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

x) नियमावली के नियम–6 के उप नियम (ii) में अंकित शब्द समूह "मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री" के पश्चात् एवं शब्द "प्रतिमाह" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 5,000/– (पांच हजार) मात्र"** को **"रु0 10,000/– (दस हजार) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xi) नियमावली में नियम–7 के अधीन नया उप नियम–7 (iii) को निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री को रु0 40,00,000/– (चालीस लाख) मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर आवास ऋण की सुविधा अनुमान्य होगी।"

xii) नियमावली के नियम–8 के उप नियम (iii) में अंकित शब्द समूह "मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/ उप–मंत्री" के पश्चात् एवं "4 (चार) प्रतिशत वार्षिक व्याज" के पूर्व अंकित शब्द समूह एवं अंक **"रु0 15,00,000/– (पंद्रह लाख) मात्र"** को **"रु0 20,00,000/– (बीस लाख) मात्र"** से प्रतिस्थापित किया जाता है।

xiii) नियमावली के नियम –8 में नया उप नियम–8 (iv) निम्नरूपेण जोड़ा जाता है :–

"मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री/उप–मंत्री राशि रु0 20,00,000/– (बीस लाख) की तय सीमा में एक से अधिक क्रय कर सकेंगे।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01.09.2017 से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20/9/2017

(राजकुमार चौधरी)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन–128/2017 1237 / रांची, दिनांक 22-9- 2017 ई0।

प्रतिलिपि – राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/ सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2017

सरकार के अपर सचिव

113

18

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0म0 संशोधन–128 / 2017 1257 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।
प्रतिलिपि – महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0म0 संशोधन–128 / 2017 1257 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।
प्रतिलिपि– प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त निर्णय से सभी माननीय विधायकगण / पूर्व विधायकगण को अवगत कराने की कृपा की जाय।

22/9/2017
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0म0 संशोधन–128 / 2017 1257 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।
प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/9/2017
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0म0 संशोधन–128 / 2017 1257 / रांची, दिनांक 22.9.2017 ई0।
प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

22/9/2017
सरकार के अपर सचिव

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

म0म0स0–05/वे0म0 संशोधन– 128/2017 348 / झारखण्ड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली, 2015 के नियम–9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली में झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

::संशोधन::

1. नियमावली के नियम–6 में नया उप नियम–6 (iii) एवं 6 (iv) निम्नवत् जोड़ा जाता है:–

उप नियम–6 (iii)

(क) माननीय मंत्री के बीमार होने की स्थिति में मंत्री के आप्त सचिव/उनके स्थापना के प्रभारी विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची को इसकी सूचना दी जायेगी।

(ख) माननीय मंत्री के चिकित्सा हेतु/ चिकित्सोपरांत मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा संचिका के माध्यम से राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा/घटनोत्तर अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा के उपरांत सभी संबंधित विपत्र प्रतिहस्ताक्षर एवं भुगतेय राशि की गणना हेतु संचिका स्वास्थ्य निदेशालय, रांची को भेजी जायेगी।

(ग) प्रतिहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त होने के उपरांत स्वास्थ्य निदेशालय, रांची द्वारा स्वीकृत/अनुशंसित कुल राशि के भुगतान हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(घ) स्वीकृत राशि का भुगतान माननीय मंत्रीगण के वेतनादि शीर्ष अर्थात् मुख्यशीर्ष–2013–मंत्रिपरिषद, लघुशीर्ष–101–मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन, उपशीर्ष–01–मंत्रिगण के अन्तर्गत "वेतन" मद से किया जायेगा। स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

उप नियम–6 (iv)

माननीय मंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ जाने/गंभीर समस्या से ग्रसित होने/तत्काल उपचार आवश्यक होने वाली स्थिति में यदि अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है तो वैसी स्थिति में चिकित्सा हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत् होगी:–

(क) माननीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थापना के प्रभारी विभाग द्वारा संबंधित अस्पताल से सम्पर्क कर अग्रिम राशि की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त कर मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचित किया जायेगा।

(ख) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा अग्रिम के भुगतान हेतु शेष प्रक्रिया 6 (iii) (ख) से (घ) के अनुरूप होगी।

(ग) विशेष परिस्थिति में Air Ambulance का उपयोग किये जाने की स्थिति में राज्य चिकित्सा पर्षद की स्वीकृति के उपरांत विभागीय स्तर पर इसकी घटनोत्तर स्वीकृति एवं संबंधित विपत्रों के भुगतान की स्वीकृति हेतु विभागीय सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राजीव रंजन)
15.03.2021
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0संशोधन–128/2017 348 / रांची, दिनांक 15·3· 2021 ई.।

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विकास आयुक्त, झारखण्ड/सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/ प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव, झारखण्ड/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.03.2021
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05/वे0म0संशोधन–128/2017 348 / रांची, दिनांक 15·3 2021 ई.।

प्रतिलिपि– प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.03.2021
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0संशोधन–128 / 2017 348 / रांची, दिनांक 15.3.2021 ई।

प्रतिलिपि– सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0संशोधन–128 / 2017 348 / रांची, दिनांक 15.3.2021 ई।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा / डोरंडा / रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– म0म0स0–05 / वे0भ0संशोधन–128 / 2017 348 / रांची, दिनांक 15.3.2021 ई।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियाँ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव